फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर आमेर मु0 जयपुर

मालू बनाम हनुमान

केस संख्या :27/2019

केस संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष
([illegible] एड. प्रतिवादी संख्या 1,2 की ओर से)	19/6/2023	पत्रावली प्रस्तुत। व०के०उप०। उभय पक्ष को पुनः आपत्ति कुरेजात पर बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 23/6/2023 को पेश हो। सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर	
	23/6/2023	पत्रावली प्रस्तुत। व०के०उप०। वादी की आपत्ति कुरेजात पर खारिज की जाकर वाद वादी मुताबिक तहसीलदार आमेर से प्राप्त कुरेजात के आधार पर अन्तिम डिक्री किया जाता है। विस्तृत निर्णय व डिक्री पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर	

न्यायालय :– सहायक कलेक्टर आमेर,

मुख्यालय जयपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारी : सुनील शर्मा

आर.ए.एस.

न्यायालय सहायक कलेक्टर आमेर मु. जयपुर

नियमित वाद संख्या –27 / 2019 वाद प्रस्तुति दिनांक –07.03.2019

कालू पुत्र स्व0 रामचंद्र जाति माली निवासी ग्राम मोठू का बास तहसील आमेर जिला जयपुर।

वादी

बनाम

1. हणमान पुत्र स्व0 नारायण जाति माली निवासी ग्राम मोठू का बास तहसील आमेर जिला जयपुर।
2. भूरा पुत्र स्व0 नारायण जाति माली निवासी ग्राम मोठू का बास तहसील आमेर जिला जयपुर।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील आमेर जिला जयपुर।
4. उप पंजीयक आमेर जिला जयपुर।
5. सहायक अभियंता जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड जैतपुरा तहसील चौमूं जिला जयपुर।
6. एसबीआई बैंक जरिये शाखा प्रबंधक शाखा चौप तहसील आमेर जिला जयपुर।
7. बैंक ऑफ बडौदा जरिये शाखा प्रबंधक शाखा राजावास तहसील आमेर जिला जयपुर।
8. ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स जरिये शाखा प्रबंधक शाखा चौमूं तहसील चौमूं जिला जयपुर।

प्रतिवादीगण

वाद बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अंतर्गतधारा– 53, 188

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

दिनांक 23.06.2023

हस्तगत वाद के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि वाद वाके राजस्व ग्राम छचर का बास, पटवार हल्का नांगल पुरोहित, भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र खोरावीसल तहसील आमेर जिला जयपुर स्थित भूमि खसरा नंबर 1 रकबा 0.9000 हैक्टेयर, खसरा नंबर 2 रकबा 0.6600 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 1.5600 हैक्टेयर कृषि भूमि स्थित है जिसमें वादी का शामलाती अविभाजित 1 / 3 हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। मद संख्या 1 में उल्लेखित वादग्रस्त आराजी में वादी का हिस्सा 1 / 3 हिस्सा व

सहायक कलेक्टर
आमेर मु. जयपुर

प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 का 1/3, 1/3 हिस्सा, निहित है जो वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 की अविभाजित शामलाती संयुक्त खातेदारी का कब्जेकाश्त की भूमि है। वाद पत्र मद संख्या 1 में उल्लेखित वादग्रस्त आराजीयात कृषि भूमि है जिसका वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 के मध्य बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के आधार पर विभाजन नहीं हुआ है जिस पर वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 अपने अपने हिस्से पर काबिज काश्त हो उसका उपयोग उपभोग कर रहे है तथा उक्त संपति का लगान सरकारी वादी द्वारा अदा किया जा रहा है। वर्तमान में वाद पत्र के मद नबर 1 में वर्णित भूमि जयपुर शहर के निकट होने के कारण उक्त विवादग्रस्त भूमि के भावों में तीव्र बढोतरी हुई जिस कारण प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 के मन में बदनियति उत्पन्न हो गई है तथा वाद पत्र के मद नंबर में वर्णित भूमि का बिना विधिवत तकासमा कराये विवादग्रस्त भूमि को विशिष्ट भू भाग के रूप में बेचान कर उस पर प्लॉटिंग कर निर्माण कार्य करने पर आमादा हो रहे है। परंतु उक्त वाद पत्र के मद नंबर 1 में वर्णित वादग्रस्त कृषि भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 की शामलाती अविभाजित भूमि सहखातेदारी कब्जे काश्त की भूमि है। वादी विरुद्ध प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 वावत निम्नानुसार डिक्री किया जाकर वाद पत्र के मद नबर 1 में वर्णित खसरा नंबर 1 रकबा 0.9000 हैक्टेयर, खसरा नंबर 2 रकबा 0.6600 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 1.5600 हैक्टेयर कृषि भूमि में निहित वाद पत्र में मद संख्या 2 में वर्णितानुसार 1/3 हिस्से का वादी बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के आधार पर विभाजन करवा कर अपने हिस्से की भूमि का अलग पर्चा जारी कराये तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज करने हेतु प्रतिवादी संख्या 3 को निर्देशित किया जावे।

वाद प्रस्तुति के उपरान्त प्रकरण नियमानुसार दर्ज पंजिका किया गया तथा तलबी प्रतिवादीगण आदेशित किया गया।

प्रतिवादी संख्या 6, 7, 8 की तरफ से बावजूद तामील कोई उपस्थित नहीं रहने पर दिनांक 15.02.2023 को एक पक्षीय कार्यवाही की गई। प्रतिवादी संख्या 5 ने अपने जवाब दावे में अंकित किया है कि प्रतिवादी 5 जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड की ओर से

सहायक कलक्टर
जे.डी.ए. जयपुर

जवाब प्रार्थना पत्र में मद संख्या 5 में जिस प्रकार वर्णित है वह जानकारी के अभाव एवं रेवेन्यु रिकॉर्ड से संबंधित होने के कारण अस्वीकार है। वादी स्वयं सिद्ध करें। वाद पत्र की मद संख्या 6 में जिस प्रकार वर्णित व स्वीकार नहीं है विद्युत सेवा अति आवश्यक होने के कारण विभाग द्वारा नियमानुसार कार्य किया जाता है। उक्त उपभोक्ता श्री भूराराम हणमान सहाय पुत्र स्व. श्री नारायण लाल के नाम से 5 एच. पी का आवेदन 29.12.1994 को किया गया था। जिसका प्राईटम में नंबर आने पर दिनांक 28.7.2003 को डिमांड नोटिस जारी किया गया और 27.8.2003 को पैसा जमा करवाया गया और कनेक्शन कार्य नियमानुसार किया गया था। उपभोक्ता का नियमानुसार पूर्व में शिफ्ट करवाने का आवेदन किया और जॉब नंबर 12091/75 दिनांक 10.09.2003 के द्वारा दिनांक 1.5.2019 को कार्य किया गया जो निगम के नियमानुसार ही किया गया।

प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की ओर से जवाब
दिनांक 04.03.2020 को जवाब प्रार्थना पत्र पेश हुआ जिसमें अंकित किया की
वाद की मद नंबर 4 में वर्णित कथन पक्षकारों के मध्य विभाजन नहीं हुआ है।
के संदर्भ में स्पष्ट है कि वाद की मद संख्या 1 में वर्णित भूमि को जरिये
विक्रय पत्र क्रय करने के पश्चात मुख्य रास्ते से लगाते हुये उक्त आराजीयात
को 1/3, 1/3 भाग में बांटकर (बाहमी बंटवारा) कर काबिज काश्त हो गये
थे और उसी के अनुसार काबिज काश्त चले आ रहे है शेष कथन सही होने
से स्वीकार है। वाद पत्र की मद नंबर 5 में वर्णित कथन गलत होने से
अस्वीकार है। यहां यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि प्रतिवादी संख्या 1 व 2
में मन में किसी भी प्रकार की बदनियति उत्पन्न नहीं हुई है और ना ही वादी
संख्या 1 व 2 वाद पत्र की मद संख्या 1 में वर्णित भूमि का बेचान कर
प्लॉटिंग करना चाहते है। बल्कि बदनियति वादी के मन में उत्पन्न हो गई है।
वादी उक्त आराजीयात पर बने हुए प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के अधिकार क्षेत्र
का बना हुआ बोरिंग व कृषि कनेक्शन को येन केन प्रकारेण हासिल करना
चाहता है। जबकि उक्त आराजीयात का विशिष्ट भू भाग वादी के कब्जे [illegible]
में है। वाद पत्र की मद नंबर 6 में वर्णित कथन सरासर गलत होने से
अस्वीकार है। यहां यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि दिनांक 19.2.2019 को

सहायक कलक्टर
आमेर प्र. जयपुर

प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के साथ 5 व 7 वयक्ति मौके पर नहीं गये और ना ही उक्त आराजीयात का बेचान बाबत प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने किसी प्रकार का कथन नहीं किया और ना ही प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 उक्त आराजीयात पर प्लॉटिंग करना चाहते हैं। बल्कि वादी ही प्रतिवादी संख्या 1 व 2 से ईर्ष्या भाव रखता है। इस कारण से उक्त वर्णित आराजीयात के भू—भाग पर 1 व 2 के अधिकार क्षेत्र का कुआ बोरिंग है। येन केन प्रकारेण बंद करवाना चाहता है। ताकि प्रतिवादी संख्या 1 व 2 कृषि कार्य न कर सकें मवेशियों को पानी नहीं पिला सके स्वयं प्रतिवादी के परिवारजन उक्त कुआ बोरिंग का उपयोग उपभोग नहीं कर सकें ताकि प्रतिवादीगण परिवारजन को पानी के लिए दरबदर भटकना पडें। इस कुत्शीत उदेश्य को पूरा करने के लिए वादी ने अपने स्वयं के नाम का बोरिंग उक्त बोरिंग पर विद्युत कनेक्शन ले रखा है। जिसको बंद करने के उदेश्य से विद्युत विभाग जैतपुरा प्रार्थना पत्र बाबत कनेक्शन कटवाने का प्रस्तुत कर कनेक्शन कटवा दिया है जो अपना जीवनयापन कृषि कार्य करके रहते है। इसके अतिरिक्त आय का और कोई विकल्प उपलब्ध नहीं है।

उभयपक्षकारान की बहस सुनी जाकर बाद वादी वाईं मोट्रा एण्ड बाउण्डरा के आधार पर प्राथमिक निर्णय डिक्री जारी कि गई। तहसीलदार आमेर जयपुर को कुर्रेजात प्रस्ताव बनाकर भिजवाने हेतु आदेशित किया गया।

तहसीलदार आमेर द्वारा दिनांक 23.08.2022 को कुर्रेजात रिपोर्ट प्राप्त हुई। वादी ने आपत्ति कुर्रेजात प्रार्थना पत्र पेश किया। जिसमें अभिवचन किया है कि तहसीलदार आमेर राजस्थान द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम (रेवेन्यु बोर्ड रूल्स) के नियम 18 से 21 के विपरीत व वादग्रस्त भूमि की मौका स्थिति के विपरीत तैयार की गई है। वादी को खसरा नम्बर 2 रकबा 0.52 है0 भूमि दी गई है तथा कुर्रेजात रिपोर्ट के अनुसार बोरिंग प्रतिवादी संख्या 2 भूरा के हिस्से की भूमि में चला गया है इस प्रकार तहसीलदार आमेर ने मौके की स्थिति के अनुसार कुर्रेजात रिपोर्ट तैयार नहीं की है। अतः पुनः कुर्रेजात रिपोर्ट मंगवायी जावे।

सहायक कलक्टर
आमेर प्र. जयपुर

प्रकरण में उभयपक्षों की बहस सुनी गयी एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। तहसीलदार आमेर द्वारा प्रस्तुत कुर्रेजात रिपोर्ट से यह स्पष्ट है कि उपरोक्त आराजी मे उभयपक्ष को अपने हिस्सेनुसार बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर विभाजन प्रस्ताव मे हिस्सा दिया गया है तथा उभयपक्ष को कुर्रेजात प्रस्ताव बनाने हेतु पक्षकारान को नोटिस जारी किये गये है। पक्षकारान को उनके हिस्सेनुसार रास्ते की ओर समुचित व्यवस्था करते हुये कुर्रेजात रिपोर्ट तैयार कर विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये है। वादी द्वारा उक्त कुर्रेजात रिपोर्ट के संबंध में कोई न्याय संगत ऐतराज प्रस्तुत नहीं किया कि किसी भी पक्षकार को उसके हिस्से से अधिक भूमि दिया जाना प्रस्तावित किया हो अथवा रास्ते की समुचित व्यवस्था नही हों। ऐसी सुरत में वादी की आपत्ति स्वीकार योग्य प्रतीत नही होती है।

अतः मुताबिक तहसीलदार आमेर जयपुर से प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट वादपत्र को निम्न प्रकार अंतिम डिक्री किया जाता है:-

1. कालूराम पुत्र रामचंद्र जाति माली सा. देह खातेदार राहिन बीओबी शाखा राजावास मुर्तहीन के हिस्से खसरा नंबर 2 रकबा 0.52 हैक्टेयर भूमि रहेगी।
2. भूरा पुत्र नारायण जाति माली सा. देह खातेदार राहिन एसबीआई शाखा चौमूं मुर्तहीन के हिस्सेसे खसरा नंबर 2/1 रकबा 0.14 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1/1 रकबा 0.38 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 0.52 भूमि रहेगी।
3. हनुमान पुत्र नारायण जाति माली सा. देह खातेदार राहिन ओबीसी शाखा चौमूं मुर्तहीन के हिस्से खसरा नंबर 1 रकबा 0.52 हैक्टेयर भूमि रहेगी।

उभयपक्ष मुताबिक निर्णय अनुसार एक दूसरे के हिस्से में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नही करेंगे। तहसीलदार आमेर से प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट एवं नक्शा निर्णय एवं डिक्री का अभिन्न अंग रहेंगे। अन्तिम डिक्री जारी हो। पत्रावली निर्णित शुमार की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलेक्टर
आमेर, जयपुर

अंतिम डिक्री मुकद्दमा इब्तदाई

(ओ 20 रूल्स 6 व 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालत सहायक कलेक्टर आमेर, मु0 जयपुर
पीठासीन अधिकारी सुनील शर्मा (आर.ए.एस)

नियमित वाद संख्या —27 / 2019 वाद प्रस्तुति दिनांक —07.03.2019

कालू पुत्र स्व0 रामचंद्र जाति माली निवासी ग्राम मोठू का बास तहसील आमेर जिला जयपुर।

वादी

बनाम

1. हणमान पुत्र स्व0 नारायण जाति माली निवासी ग्राम मोठू का बास तहसील आमेर जिला जयपुर।
2. भूरा पुत्र स्व0 नारायण जाति माली निवासी ग्राम मोठू का बास तहसील आमेर जिला जयपुर।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील आमेर जिला जयपुर।
4. उप पंजीयक आमेर जिला जयपुर।
5. सहायक अभियंता जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड जैतपुरा तहसील चौमूं जिला जयपुर।
6. एसबीआई बैंक जरिये शाखा प्रबंधक शाखा चौप तहसील आमेर जिला जयपुर।
7. बैंक ऑफ बड़ौदा जरिये शाखा प्रबंधक शाखा राजावास तहसील आमेर जिला जयपुर।
8. ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स जरिये शाखा प्रबंधक शाखा चौमूं तहसील चौमूं जिला जयपुर।

प्रतिवादीगण

वाद बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा
अंतर्गत धारा— 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय दिनांक 23.06.2023

मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट वादपत्र को निम्न प्रकार अंतिम डिक्री किया जाता है:—

1. कालूराम पुत्र रामचंद्र जाति माली सा. देह खातेदार राहिन बीओबी शाखा राजावास मुर्तहीन के हिस्से खसरा नंबर 2 रकबा 0.52 हैक्टेयर भूमि रहेगी।

2. भूरा पुत्र नारायण जाति माली सा. देह खातेदार राहिन एसबीआई शाखा चौमूं मुर्तहीन के हिस्से खसरा नंबर 2 / 1 रकबा 0.14 हैक्टेयर, खसरा

सहायक कलेक्टर
आमेर, जयपुर

नंबर 1/1 रकबा 0.38 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 0.52 भूमि रहेगी।

3. हनुमान पुत्र नारायण जाति माली सा. देह खातेदार राहिन ओबीसी शाखा चौमूं मुर्तहीन के हिस्से खसरा नंबर 1 रकबा 0.52 हैक्टेयर भूमि रहेगी।

उभयपक्ष मुताबिक निर्णय अनुसार एक दुसरे के हिस्से में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नही करेगे। तहसीलदार आमेर से प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट एवं नक्शा निर्णय एवं डिक्री का अभिन्न अंग रहेंगे।

बसख्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत से आज तारीख 23.06.2023 को जारी किया ।

दस्तखत ——

ओहदा ——

न्यायालय सहायक कलक्टर आमेर जयपुर

सहायक कलेक्टर
आमेर, जयपुर

मुद्दई	रुपया	पैसे	मुद्दायलेह	रुपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	2 रूपये	-	स्टाम्प अर्जी दावा	2 रूपये	-
स्टाम्प वकालतनामा	2 रूपये		स्टाम्प वकालतनामा	2 रूपये	
स्टाम्प वजह सबूत			स्टाम्प वजह सबूत		
महन्ताना वकील			महन्ताना वकील		
खर्चा गवाहन			खर्चा गवाहन		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बवक्त इजराय हुक्मानामा			बवक्त इजराय हुक्मानामा		
मुतफरित	4 रूपये		मुतफरित	4 रूपये	
मीजान			मीजान		